कार्यालय सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, वाराणसी

पत्रांक 4872 / L-47802 / 2010–11 / वाराणसी::दिनांक 23/12/2010

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेशनल एसोसियेशन
बारा - गाजीपुर

विषय: नेशनल एसोसियेशन बारा गाजीपुर नामक संस्था के नवीनीकरण

महोदय,

आप द्वारा उपर्युक्त संस्था के नवीनीकरण हेतु नवीनीकरण शुल्क, संस्था का मूल प्रमाण पत्र, प्रबन्ध समिति की सूची, आय–व्यय की सूची, चुनाव कार्यवाही व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किया है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के आदेश संख्या आडिट–3383 / दस–2008–606(114) / 2008 दिनांक 7–1–2009 के विरूद्ध डा० अनुपम आनन्द ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–12032 / 09 योजित को जो दिनांक 17–3–2010 को खारिज की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने शासन के आदेश दिनांक 7–1–09 के विरूद्ध दाखिल याचिका सं0 12032 / 09 में पारित दिनांक 17–3–2010 के आदेश के विरूद्ध विशेष अपील सं0 590 / 2010 भी योजित की गयी जिसमें सहायक निबन्धक द्वारा राष्ट्रीय शब्द के प्रयोग के साथ नवीनीकरण अनुमति न दिये जाने को सही ठहराते हुए योजित अपील को दिनांक 21–4–2010 के पारित आदेश से निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त आदेश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संस्था के नाम में से ''राष्ट्रीय / नेशनल'' शब्द हटाये जाने हेतु तत्सम्बन्धी कार्यवाही की प्रति एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। तभी आपके प्रपत्रों पर नवीनीकरण किया जाना सम्भव होगा।

भवदीय,

सहायक निबन्धक
वाराणसी

संख्या 5288 पत्रावली सं0 आई– 4782 दिनांक 18.1.2011

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम में परिवर्तन
का
प्रमाण – पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

संख्या 179 / 1951–52

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सोसाइटी ने जिसे आगे "**नेशनल एसोसिएशन बारा गाजीपुर**" कहा जाता था, अपने नाम में परिवर्तन किया हैं और सोसाइटी का नया "**मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी**, बारा, **गाजीपुर उत्तर प्रदेश** नाम में उपर्युक्त परिवर्तन दिनांक 18–01–2011 को सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

जारी करने का दिनांक–18–01–2011

आज दिनांक 18–01–2011 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

यह प्रमाणपत्र दिनांक 10–10–.2015 तक वैध रहेगा।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार